ASI ने भोजशाला सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) ने विवादित भोजशाला-कमाल-मौला मस्जिद परिसर की **वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश** उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ को सौंपी।

मुख्य बिंदु:

- सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में परमार वंश/काल **(9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच)** की मध्यकालीन संरचना के अवशेष हैं। इस स्थल का **निर्माण और विकास राजा भोज ने धार ज़िले में किया था।**
- लगभग 98 दिनों तक चले सर्वेक्षण में लगभग **1700 अवशेष और अन्य साक्ष्य** सामने आए।
  - खोजी गई नक्काशी में विविध प्रकार की छवियाँ शामिल थीं, जिनमें **देवताओं की अपवित्र मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और अन्य अवशेष (मानव एवं पशु आकृतियाँ)** शामिल थीं।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि **भोजशाला की मौजूदा संरचना मूलतः एक मंदिर थी तथा यह साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र** भी थी।
- **हिंदू समुदाय भोजशाला** को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित **मंदिर** मानते है, जबकि **मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहते है।**

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- यह **3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन** करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1861 में** ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्त्व का जनक" भी कहा जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/asi-submits-bhojshala-survey-report